कंपनी अंकेक्षण–द्वितीय
(Company Audit-II)

धारा–209 (Sec-209) :–
इस धारा के अंतर्गत किसी भी कंपनी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों के संबंध में उल्लेख है । इसके अंतर्गत कंपनी की शाखाओं में रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों के संबंध में भी उल्लेख है ।

उपधारा–209(1) [Sub. Sec.-209(1)] :–
प्रत्येक कंपनी द्वारा कंपनी के लेनदेनों से संबंधित निम्न प्रकार की लेखा पुस्तकें रखना अनिवार्य हैं:–

(a) ऐसी लेखा पुस्तकें जिसमें कंपनी के लेनदेन के संबंध में **प्राप्तियों तथा भुगतानों** को दर्ज किया जाता है । उदाहरण – रोकड़ बही, बैंक बही, दैनिक बही ।

(b)ऐसी लेखा पुस्तक जिसमें कंपनी के सभी **क्रय–विक्रय लेनदेनों** व **मात्राओं** को दर्ज किया जाता है ।

(c) ऐसी लेखा पुस्तकें जिसमें कंपनी की सभी **संपत्तियों व दायित्वों** को दर्ज किया जाता है । उदाहरण – खाता बही ।

(d) यदि कंपनी एक उत्पादन, प्रक्रियाकरण, निर्माण या खदान गतिविधियों में संलग्न है और कंपनी द्वारा **लागत व कच्चे माल की विभिन्न मदों** का विवरण दर्ज किया जाता है । उदाहरण – लागत विवरणियाँ , लागत बही । इस प्रकार की लेखा पुस्तकों में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष आदेश दिया जाएगा ।

(e) यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी की लेखा पुस्तकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों में रखी जाये अर्थात् किसी अन्य स्थान पर भी रखी जा सकती है, जो स्थान कंपनी के संचालकों द्वारा निर्धारित किया गया है और यदि कंपनी की लेखा पुस्तकें किसी अन्य स्थान पर रखी जाती है तो संचालक मंडल की सभा के 7 दिन के भीतर उस स्थान का पता कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ।

Abhishek Sarda

उपधारा–209(2) [Sub. Sec.-209(2)] :–
यदि कंपनी की शाखा या शाखाएँ हैं तो शाखाओं में वही लेखा पुस्तकें रखी जाएगी जो उपधारा–(1) में उल्लेखित हैं व साथ ही शाखाओं से कंपनी के प्रधान कार्यालय को एक निश्चित समय अंतराल (अधिकतम 3 माह) में विवरणियाँ (रिटर्न) भेजी जाएगी ।

उपधारा–209(3) [Sub. Sec.-209(3)] :–
कंपनी की लेखा पुस्तकें उस स्थिति में सही प्रकार से नहीं रखी समझी जाएगी जब :–

(a) यदि लेखा पुस्तकें कंपनी/शाखा की स्थिति की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत नहीं कर पा रही हों एवं लेनदेनों की व्याख्या नहीं कर पा रही हों

(b) कंपनी की लेखा पुस्तकें उपार्जन आधार पर नहीं रखी गई हैं तथा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर नहीं बनाई गई हैं ।

उपधारा–209(4) [Sub. Sec.-209(4)] :–
कंपनी के संचालकों को यह अधिकार है कि वे कंपनी की लेखा पुस्तकें कंपनी के व्यावसायिक समय के दौरान जाँच सके अर्थात् निरीक्षण कर सकें व यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रति भी प्राप्त कर सकें ।

उपधारा–209(4A) [Sub. Sec.-209(4A)] :–

प्रत्येक कंपनी को कम से कम 8 वर्षों के लिए अपनी लेखा पुस्तकों को रखना जरूरी है । इन 8 वर्षों में कंपनी के चालू वर्ष को शामिल नहीं किया गया है अर्थात् प्रत्येक कंपनी को पूर्व के 8 वर्षों की लेखा पुस्तकें व प्रमाणकों को रखना जरूरी है ।

धारा–210 (Sec-210) :–

इस धारा के अंतर्गत कंपनी के चिट्ठे, लाभ हानि खाते व आय–व्यय खाते का उल्लेख है । साथ ही कंपनी के चिट्ठे व आय–व्यय खाते का संबंध कंपनी की वार्षिक साधारण सभा से किया गया है।

उपधारा–210(1) [Sub. Sec.-210(1)] :–

कंपनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा (AGM) में कंपनी संचालक मंडल को कंपनी के समक्ष रखने होंगे :–

(अ) एक चिट्ठा उपधारा (3) में उल्लेखित समाप्त होने वाली अवधि का ।

(ब) उसी अवधि के लिए एक लाभ हानि खाता ।

उपधारा–210(2) [Sub. Sec.-210(2)] :–

एक अलाभकारी कंपनी की दशा में लाभ–हानि खाते के स्थान पर आय एवं व्यय खाता कंपनी के समक्ष साधारण सभा में रखा जायेगा । इस प्रकार की कंपनी के संबंध में इस धारा में एवं इस अधिनियम में कहीं भी "लाभ एवं हानि खाता" (Profit and Loss Account), "लाभ" (Profit) एवं "हानि" (Loss) इन सभी शब्दों का अर्थ क्रमशः "आय एवं व्यय खाता" (Inocme and Expediture Account) "व्यय पर आय का आधिक्य" (The excess of income over expenditure) तथा "आय पर व्यय का आधिक्य" (the excess of expenditure over income) लिया जायेगा ।

Abhishek Sarda

उपधारा–210(3) [Sub. Sec.-210(3)] :–

लाभ हानि खाता संबंधित होगा :–

(क) कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा की दशा में कंपनी के समामेलन से प्रारंभ होकर एक ऐसी तिथि तक का जो वार्षिक साधारण सभा की तिथी से नौ माह से अधिक पुराना न हो अर्थात् लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर प्रथम वार्षिक साधारण सभा बुलाना आवश्यक है ।

(ख) कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा के मामले में कंपनी का लाभ हानि खाता उस तिथि से प्रारंभ किया जाएगा जिस तिथि तक अंतिम बार लेखा पुस्तकें पेश की जा चुकी थी और उस तिथि तक जो सभा की तिथि से 6 माह से अधिक पुरानी न हो या उन मामलों में जहाँ रजिस्ट्रार ने वार्षिक साधारण सभा की अवधि 3 माह के लिए बढ़ा दी है तो भी ये लेखे 9 माह से अधिक पुराने नहीं हो सकते । अर्थात् वितीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह रजिस्ट्रार की स्वीकृति प्राप्त होने पर 9 माह के भीतर वार्षिक साधारण सभा बुलाना आवश्यक है ।

उदाहरण – (1) राम लि. का प्रथम वितीय वर्ष 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होता है । इस कंपनी को अपने वार्षिक खाते प्रथम वार्षिक साधारण सभा के समक्ष 30 सितंबर 2001 तक अवश्य प्रस्तुत कर देने चाहिए क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह 30 सितंबर 2001 को पूरे हो जाते हैं । अतः साधारण सभा 30 सितंबर 2001 तक ही करनी पड़ेगी ।

उदाहरण – (2) राम लि. का द्वितीय वर्ष 31 दिसंबर 2001 को समाप्त होता है । अतः कंपनी को 30 जून, 2002 तक अपनी द्वितीय साधारण सभा बुलाना आवश्यक है तथा उसके समक्ष वार्षिक खाते प्रस्तुत करना आवश्यक है । इस सभा में 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक के खाते प्रस्तुत किये जायेंगे । यदि रजिस्ट्रार उचित कारणों के आधार पर वार्षिक साधारण सभा बुलाने की अवधि तीन महीने बढ़ा देता है तो 30 सितंबर 2002 तक वार्षिक सभा बुलाकर वित्तीय वर्ष 2001 के वार्षिक खाते प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

उपधारा–210(4) [Sub. Sec.-210(4)] :–
वह अवधि जिस तक उपरोक्त खाते संबंधित हैं "वित वर्ष" कहलाती है । यह अवधि एक कैलेण्डर वर्ष से कम या अधिक हो सकती है परंतु 15 माह से अधिक नहीं होगी ।
इस अवधि को रजिस्ट्रार की विशेष आज्ञा से 18 माह तक बढ़ाया जा सकता है ।

धारा–211 (Sec-211) :–
इस धारा के अंतर्गत कंपनी के चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते के प्रारूप के संबंध में उल्लेख है ।

उपधारा–211(1) [Sub. Sec.-211(1)] :–
प्रत्येक कंपनी का **चिट्ठा** कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग I के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इसी भाग के आसपास का प्रारूप भी इस्तेमाल लिया जा सकता है ।
अनुसूची VI का भाग I बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, बिजली संवर्द्धन कंपनी या एक ऐसी कंपनी पर लागू नहीं हुआ माना जाएगा यदि उन से संबंधित अधिनियम में चिट्ठे का अलग प्रारूप दिया गया है ।

उपधारा–211(2) [Sub. Sec.-211(2)] :–
प्रत्येक कंपनी का लाभ–हानि खाता या आय–व्यय खाता कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के भाग II के अनुसार बनाया जाएगा , तभी यह समझा जाएगा कि कंपनी का लाभ–हानि खाता कंपनी की सत्य एवं उचित छवि बता रहा है ।
अनुसूची VI का भाग II बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, बिजली संवर्द्धन कंपनी या एक ऐसी कंपनी पर लागू नहीं हुआ माना जाएगा यदि उन से संबंधित अधिनियम में लाभ हानि खाते का भिन्न प्रारूप दिया गया है ।

Abhishek Sarda

उपधारा–211(3) [Sub. Sec.-211(3)] :–
केंद्रीय सरकार किसी भी कंपनी को अनुसूची VI के भाग I व II के प्रावधानों को जनहित में लागू नहीं करने के आदेश दे सकती है । यह आदेश शर्त सहित या शर्त रहित हो सकता है ।

उपधारा–211(3A) [Sub. Sec.-211(3A)] :–
किसी भी कंपनी का प्रत्येक चिट्ठा व लाभ हानि खाता मानक लेखांकन व्यवहारों के अनुसार बनाया जाएगा ।

उपधारा–211(3B) [Sub. Sec.-211(3B)] :–
यदि किसी कंपनी द्वारा लाभ–हानि खाता या चिट्ठा बनाते समय मानक लेखांकन व्ययवहारों की पालना नहीं की जाती है तो कंपनी को निम्न मामलों का उल्लेख करना होगा :–
(क) कंपनी द्वारा संबंधित मानक लेखांकन व्यवहार की पालना नहीं की गई है,
(ख) मानक लेखांकन व्यवहार की पालना नहीं करने के कारण,
(ग) किसी अन्य मानक लेखांकन व्यवहार की पालना करने से कंपनी के लाभ–हानि पर होने वाले वित्तीय प्रभाव का उल्लेख ।

उपधारा–211(3C) [Sub. Sec.-211(3C)] :–
मानक लेखांकन व्यवहारों से तात्पर्य ऐसे व्यवहारों से है जिन्हें केंद्रीय सरकार की मानक लेखांकन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो या ICAI द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

उपधारा–211(4) [Sub. Sec.-211(4)] :–

यदि किसी कंपनी के संचालक मंडल द्वारा केंद्रीय सरकार को यह आवेदन किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की अनुसूची VI के कुछ प्रावधानों को उन पर लागू नहीं किया जाए और केंद्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है तो वह यह आदेश दे सकती है कि संबंधित मामलें आवेदित कंपनी के संबंध में लागू नहीं किये जाए ।

उपधारा–211(5) [Sub. Sec.-211(5)] :–
यदि निम्न कंपनियों द्वारा अपना चिट्ठा व लाभ हानि खाता बनाते समय कुछ मामलों को चिट्ठे व लाभ हानि खाते में शामिल नहीं किया गया है तो यह नहीं समझाा जाना चाहिए कि वे कंपनी के लाभ हानि की सत्य व उचित छवि नहीं दर्शा रहे हैं क्योंकि वे मामले उन कंपनी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार की कंपनियाँ निम्न हैं :–
(क) एक बीमा कंपनी
(ख) एक बैंकिंग कंपनी
(ग) बिजली के सर्जन तथा बिजली की आपूर्ति में लगी कंपनी
(घ) कोई ऐसी कंपनी जिसके विनियामक अधिनियम के अनुसार उस कंपनी के लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे का प्रारूप अलग तरह का हो ।
(ड़) एक ऐसी कंपनी जिस पर उपधारा 3 या 4 लागू हो रही हो ।

धारा–212 (Sec-212) :–
एक सूत्रधारी कंपनी जिसकी कोई एक या अधिक सहायक कंपनियाँ है उसे अपने चिट्ठे में यह अनिवार्य रूप से दर्शाना होगा कि उस सूत्रधारी कंपनी की कौन–कौन सी सहायक कंपनियाँ है और प्रत्येक सहायक कंपनी की अंशपूँजी का कितना प्रतिशत भाग ऐसी सूत्रधारी कंपनी के पास है? इस विवरण में यह भी दर्शाना होगा कि सहायक कंपनी के संचालकों में ऐसे कौनसे संचालक हैं जो सूत्रधारी कंपनी के संचालक भी हैं ।

Abhishek Sarda

धारा–215 (Sec-215) :–
इस धारा के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि कंपनी के वितीय विवरणों पर कौन व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे ?

उपधारा–215(1) [Sub. Sec.-215(1)] :–
कंपनी के प्रत्येक चिट्ठे व लाभ हानि खाते पर निम्न प्रकार से हस्ताक्षर किए जाएंगे :–

(1) एक बैंकिंग कंपनी के संदर्भ में :–बैंकिंग कंपनी की धारा 29 के अनुसार ।
(2) अन्य कंपनियों के संदर्भ में :– प्रबंधक या सचिव यदि कोई है तो और कंपनी के कम से कम दो संचालक जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होना चाहिए यदि कंपनी में प्रबंध निदेशक है तो ।

उपधारा–215(2) [Sub. Sec.-215(2)] :–
वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करते समय यदि कंपनी का एक ही संचालक मौजूद है तो वह अकेला संचालक ही उन वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करेगा और साथ में एक विवरण भी संलग्न करेगा जिसमें इस धारा की उपधारा (1) की पालना नहीं करने के कारणों का उल्लेख होगा ।

उपधारा–215(3) [Sub. Sec.-215(3)] :–
कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किये जाएंगे जिन्हें कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अपनी सभा में अनुमोदित किया जाएगा और उसके उपरांत ही उन्हें कंपनी के अंकेक्षक को अंकेक्षण तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करने के लिए दिए जाएंगे ।

धारा–217 (Sec-217) :–

उपधारा–217(1) [Sub. Sec.-217(1)] :–
संचालक मंडल का प्रतिवेदन (ठवंतक त्मचवतज) कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के चिट्ठे व लाभ–हानि खाते के साथ–साथ प्रत्येक कंपनी को संचालक मंडल का प्रतिवेदन भी संलग्न करना होता है । जिसमें निम्न मामलों को शामिल किया जाता है :–

वाक्यांश (a) कंपनी का कामकाज

वाक्यांश (b) ऐसी राशियाँ जिन्हें कंपनी द्वारा संचयों में हस्तांतरित किया जाना है

वाक्यांश (c) ऐसी राशियाँ जो कंपनी के संचालक मंडल द्वारा लाभांश के रूप में दी जाती है

वाक्यांश (d) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सारवान परिवर्तन जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत हुए हों परंतु संचालक मंडल के प्रतिवेदन की तिथि के पूर्व घटित हुए हों

वाक्यांश (e) कुछ अन्य विवरण उदाहरण के तौर पर ऊर्जा का अनुरक्षण, प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल, विदेशी विनिमय का उपार्जन व प्रेक्षण इत्यादि ।

उपधारा–217(2) [Sub. Sec.-217(2)] :–
यदि कंपनी की सहायक कंपनी भी है तो उस स्थिति में प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में उपधारा–(1) के सभी मामलों का उल्लेख होगा ।

उपधारा–217(2A) [Sub. Sec.-217(2A)] :–
संचालक मंडल के प्रतिवेदन में निम्न प्रकार से ऐसे कर्मचारियों का उल्लेख किया जाएगा जिनका पारिश्रमिक एक निर्धारित सीमा से अधिक होगा :–

(क) वे कर्मचारी जो कंपनी में पूरे वितीय वर्ष में कार्यरत थे उनका संपूर्ण पारिश्रमिक एक निर्धारित सीमा से अधिक था

(ख) वे कर्मचारी जो संपूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष में कार्यरत नहीं थे उनका पारिश्रमिक प्रति माह के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक था ।

(ग) वे कर्मचारी चाहे संपूर्ण वित्तीय वर्ष में कार्यरत थे या संपूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष में कार्यरत नहीं थे परंतु उन कर्मचारियों का पारिश्रमिक कंपनी के प्रबंध निदेशक या पूर्ण कालिक संचालक से अधिक था और उस कर्मचारी के पास स्वयं या उसके जीवन साथी तथा उसके आश्रित बच्चों के पास कंपनी के समता अंशों का 2 प्रतिशत से अधिक भाग था ।

उपधारा–217(2AA) [Sub. Sec.-217(2AA)] :–
संचालक मंडल के प्रतिवेदन में कंपनी के संचालकों द्वारा कुछ मामलों के संबंध में उत्तरदायित्व दर्शाना होता है :–

(i) कंपनी के वार्षिक खातों को बनाते समय खातों पर लागू होने वाले लेखाकंन मानदंडों (AS) को विस्तृत रूप से समझाना होगा और यदि कंपनी द्वारा इन मानदंडों को इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उस संबंध में भी विस्तृत रूप में उल्लेख करना होगा ।

(ii) कंपनी के संचालकों ने जिन लेखांकन नीतियों का चयन किया है और जो खाते बनाते समय अनुमान लगाये हैं उनके आधार पर कंपनी का लाभ–हानि खाता व चिट्ठा कंपनी की सत्य एवं उचित छवि का चित्रण कर रहा है ।

(iii) संचालकों द्वारा कंपनी में किसी भी प्रकार का कपट या सारवान त्रुटि नहीं है । उसके संबंध में विशेष प्रकार से पुस्तकें रखी गई हैं और जो लेखा पुस्तकें रखी जा रही हैं वे कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित लेखा पुस्तकें हैं ।

(iv) संचालकों के द्वारा बनाये गये वार्षिक खाते सतत् संस्थान मान्यता के आधार पर बनाये गये हैं।

Abhishek Sarda

उपधारा–217(2B) [Sub. Sec.-217(2B)] :–
संचालकों के प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम की धारा 77A की विफलताओं का भी उल्लेख किया जाना होगा ।
धारा 77A कंपनी के अंशों की पुनः खरीद से संबंधित है ।

उपधारा–217(3) [Sub. Sec.-217(3)] :–
यदि कंपनी के अंकेक्षक ने अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुछ मर्यादाओं, नकारात्मक टिप्पणियों इत्यादि का उल्लेख किया है तो कंपनी के संचालकों को इन मर्यादाओं व नकारात्मक टिप्पणियों का विस्तृत उल्लेख करना होगा ।

उपधारा–217(4) [Sub. Sec.-217(4)] :–
संचालक मंडल के प्रतिवेदन पर कंपनी का अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा यदि इस संबंध में संचालक मंडल द्वारा उसे अधिकृत किया गया है । यदि अध्यक्ष को संचालक मंडल द्वारा संचालक मंडल के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है तो उस परिस्थिति में संचालक मंडल के प्रतिवेदन पर कंपनी अधिनियम की धारा 215 की उपधारा (1) व (2) के अनुसार हस्ताक्षर किये जाएंगे ।

धारा–208 (Sec-208) :–
इस धारा के अनुसार कंपनी द्वारा निर्माण के दौरान उपलब्ध पूँजी में से ब्याज का भुगतान किया जा सकता है । इस धारा के अंतर्गत ब्याज के भुगतान का अधिकतम प्रतिशत, केंद्रीय सरकार से स्वीकृति व ब्याज के भुगतान में दी गई राशि का लेखांकन इत्यादि का उल्लेख है ।
कोई भी कंपनी जिसने कंपनी का पंजीकरण होने के उपरांत पूँजी बाजार में पूँजी उगाही है तो निम्न शर्तों के अनुसार कंपनी इस पूँजी में से कंपनी के अंशधारियों को ब्याज का भुगतान कर सकती है :–

Abhishek Sarda

(i) उगाही गई पूँजी का इस्तेमाल भवन निर्माण संयंत्रों का क्रय इत्यादि पर होना आवश्यक है ।
(ii) ब्याज का भुगतान कंपनी के अंर्तनियमों के अनुसार किया जाएगा और यदि अंर्तनियमों में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं हैं तो कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके अंर्तनियमों में परिवर्तन किया जायेगा ।
(iii) पूँजी पर ब्याज का भुगतान करने से पूर्व कंपनी को केंद्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
(iv) केंद्रीय सरकार ऐसी अनुमति प्रदान करने से पूर्व इस संदर्भ में जाँच करने हेतु किसी सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है ।
(v) अंकेक्षक द्वारा यह भी जाँचा जाएगा कि पूँजी पर ब्याज का भुगतान केवल उस अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कंपनी द्वारा भवन निर्माण या संयंत्रों का क्रय किया गया है परंतु यह अवधि केंद्रीय सरकार की अनुमति से निर्माण होने के उपरांत छः माह तक के लिए भी बढ़ाई जा सकती है ।
(vi) ब्याज की दर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं हो सकती है ।
(vii) पूँजी पर चुकाई गई ब्याज की राशि कंपनी की संपतियों में उसी अनुपात में जोड़ ली जाएगी जिस अनुपात में पूँजी इस्तेमाल विभिन्न संपतियों में किया गया है ।

स्पष्टीकरण (Explanation) :– यदि कंपनी द्वारा पूँजी पर ब्याज का भुगतान वर्ष के अंत में किया गया है और ब्याज का भुगतान अगले वर्ष में भी किया गया है तो उस स्थिति में वर्ष के अंत में जो चिट्ठा बनाया जाएगा उसमें ब्याज के भुगतान को पृथकतः पूँजीगत व्यय खाते में दर्शाया जाएगा जिसे निर्माण के अंत में या निर्माण समाप्ति के छः माह पश्चात् विभिन्न पूँजीगत संपतियों में आनुपातिक आधार पर जोड़ लिया जायेगा ।

अंश पूँजी का अंकेक्षण
(AUDIT OF SHARE CPAITAL)

रोकड़ के लिए निर्गमित अंशों का सत्यापन (Verification of Shares Issued for Cash):–

रोकड़ हेतु अंशों का निर्गमन तीन चरणों में होता है :–

(i) अंशों के लिए आवेदन राशि के साथ आवेदनों की प्राप्ति
(ii) आबंटन राशि की प्राप्ति तथा अंशों का आबंटन तथा
(iii) याचना करना तथा याचना राशि की प्राप्ति

उपरोक्त तीनों चरणों के संबंध में जो अंकेक्षण कार्यक्रम अपनाया जाएगा वह निम्न प्रकार होगा :–

(1) आवेदन (Application) :–
आवेदन राशि के साथ प्राप्त आवेदनों का सत्यापन निम्न प्रकार किया जाएगा :–

(a) आवेदन तथा आबंटन पुस्तक (या तालिकाओं) में प्रविष्टियों को मूल आवेदनों के साथ चैक करें

(b) आवेदनों के साथ प्राप्त हुई राशि के जमा करने के संबंध में आवेदन तथा आबंटन पुस्तक में की गई प्रविष्टियों को रोकड़ बही के साथ चैक करें

(c) असफल आवेदकों को लौटाई गई राशियों का प्रमाणन खेदपत्रों की प्रतियों के साथ करें

Abhishek Sarda

(d) आवेदन तथा आवंटन पुस्तक में कुल खानों को चैक करें तथा अंश आवेदन खाते को डेबिट करने तथा अंश पूँजी खातों के क्रेडिट करने की जर्नल प्रविष्टि की संपुष्टि करें ।

(2) आवंटन (Allotment) :–

(a) आवंटनों के अनुमोदन को सत्यापित करने हेतु संचालकों की कार्यवाही पुस्तिका का परीक्षण करें ।

(b) आवेदन तथा आबंटन पुस्तक में की गई प्रविष्टियों के साथ आवंटन पत्रों की प्रतियों की तुलना करें ।

(c) आवंटन पर वसूल की गई राशियों के सत्यापन हेतु आवेदन तथा आवंटन पुस्तक में रोकड़ बही की प्रविष्टियों को चिन्हित करना ।

(d) आवेदन तथा आवंटन पर वसूल की गई राशि को अंश रजिस्टर में आवेदन या आवंटन पुस्तक में चिन्हित करें ।

(e) आवंटन पर देय राशियों के योगों को चैक करें तथा अंश आवंटन खाते को डेबिट करने तथा अंश–पूँजी खाते को क्रेडिट करने की जर्नल प्रविष्टि का सत्यापन करें ।

(3) याचनाएँ (Calls) :–

(a) याचनाओं के संबंध में संचालकों के प्रस्ताव की जाँच ।

(b) प्राप्त धनराशि को रसीदों के प्रतिपर्णों से प्रमाणित करना ।

(c) देय याचना के लिये याचना पुस्तक तथा याचनाओं के संग्रहण के लिए रोकड़ बही के अंश रजिस्टर की खतौनी को मिलाना ।

(d) याचना खाते को डेबिट तथा अंश पूँजी खाते को क्रेडिट करने वाली जर्नल प्रविष्टि की कुल देय धनराशि के योगों से अभिपुष्टि ।

(e) बकाया याचनाओं को नोट करें ।

(4) सामान्य बिंदू (General Points) :–

(a) यह सुनिश्चित करना कि आवंटित अंशों का मूल्य अधिकृत तथा निर्गमित पूँजी से अधिक न हो एवं आवंटन प्रविवरण में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया गया हो ।

(b) यह देखना कि आवंटन की रिटर्न रजिस्ट्रार के पास आवंटन के एक माह तक फाइल कर दी गई है या नहीं ।

(c) यह पता लगाना कि प्रार्थना पत्र तथा आवंटन खाते का कुल योग निर्गमित पूँजी के बराबर है । यह अंश पूँजी खाते के शेषों के समान होना चाहिए ।

(d) यदि निर्गमन अभिगोपन किया गया था तो अभिगोपकों के साथ हुए अनुबंध का पूरा परीक्षण जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुबंध के समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया गया है ।

(e) कमीशन अथवा दलाली के भुगतान का प्रमाणन जो प्रथम अभिगोपकों के अनुबंध तथा द्वितीय दलालों के आवेदन प्रपत्रों पर मोहर के संदर्भ में दिया जाएगा ।

(f) यह देखना कि कंपनी द्वारा आवंटन के तीन माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गमित कर दिये गये हैं तथा अंशों का आवंटन धारा 53 के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ।

रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन (Shares issued for Consideration other than Cash):–

Abhishek Sarda

(1) साधारणतया कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन रोकड़ प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है परंतु कई परिस्थितियों में कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी किया जाता है , यदि कंपनी के अंतर्नियम अधिकृत करें तो ।

(2) यदि कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले किया जाता है तो कंपनी को अनुबंध की प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करानी होगी अर्थात् जिस व्यक्ति के साथ रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों को जारी करने का अनुबंध किया गया है , उस अनुबंध की प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करानी होगी ।

(3) रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों को जारी करने के संबंध में कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अपनी सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा ।

(4) कंपनी द्वारा रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन मशीनरी का क्रय करने , भवन इत्यादि का निर्माण या क्रय करने , ऋण के भुगतान या व्यवसाय को क्रय करने के संबंध में इस्तेमाल किया जा सकता है । इस संबंध में कंपनी द्वारा की जा रही प्रविष्टि की जाँच करनी होगी और यदि कंपनी ने अंशों के निर्गमन के संबंध में किसी प्रकार का प्रीमियम प्राप्त किया है तो उसे पृथक रूप से दर्ज करना होगा ।

धारा–78 (Sec-78) :–

प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन (Shares Issued on Premium)

कंपनी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर कर सकती है ।

प्रीमियम ऐसी राशि को कहा जाता है जो सम–मूल्य से अधिक हो । इस प्रीमियम राशि को एक पृथक खाते में जोड़ दिया जाता है जिसे प्रतिभूति प्रीमियम खाता (Securities Premium A/c) कहा जाता है । इस खाते का इस्तेमाल निम्न मामलों के संबंध में किया जाता है :–

(क) कंपनी द्वारा बोनस अंश जारी करना

(ख) प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना

(ग)यदि कंपनी ने अभिदान के संबंध में किसी प्रकार का कमीशन या बट्टा दिया है तो उस बट्टे या कमीशन की राशि को अपलिखित करना
(घ) यदि कंपनी के पास पूर्वाधिकार अंश पूँजी है तो उन पूर्वाधिकार अंशों या ऋणपत्रों के शोधन पर दिये गये प्रीमियम का समायोजन करना
अंकेक्षक द्वारा प्रीमियम की राशि का अंकेक्षण निम्न प्रकार से किया जाएगा :–
(1) प्रविवरण की जाँच
(2) अंर्तनियमों की जाँच
(3) संचालक मंडल की सभाओं के सूक्ष्मों की जाँच जिसके आधार पर यह जाँचा जाएगा कि प्रीमियम की राशि वह राशि है जो संचालक मंडल के सूक्ष्मों में दर्ज है ।
(4) सेबी (SEBI) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की पालना की भी जाँच की जाएगी ।
(5) कंपनी के खातों में की गई प्रविष्टियों की जाँच
(6) प्रतिभूति प्रीमियम राशि को चिट्ठे में संचयों व आधिक्यों (Reserve & Surplus) में दिखाना।
(7) कंपनी द्वारा आबंटित अंशों का हरण करने पर ऐसे अंशों पर प्रीमियम का हरण नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा प्रीमियम प्राप्त हो गया है ।

धारा–79 (Sec-79) :–

छूट/बट्टे पर अंशों का निर्गमन (Shares Issued on Discount)

साधारणतया कंपनी अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है परंतु निम्न परिस्थितियों में कंपनी द्वारा अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है :–
(1) यदि कंपनी को अंशों का निर्गमन बट्टे पर करना है तो कंपनी को सदस्यों की सभा में एक सामान्य प्रस्ताव पारित कराना होगा । संबंधित प्रस्ताव में बट्टे की दर का भी उल्लेख होगा परंतु बट्टे की अधिकतम दर सामान्य परिस्थिति में सम–मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
(2) प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् कंपनी को NCLT से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । सामान्यतः 10 प्रतिशत से अधिक बट्टे के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जाती , किसी विशेष परिस्थिति में ही 10 प्रतिशत से अधिक बट्टे के लिए NCLT चाहे तो अनुमति दे सकती है ।
(3) जिस तिथि को NCLT से स्वीकृति प्राप्त हुई है उस तिथि से 2 माह के भीतर कंपनी को अंश जारी करने होंगे ।
(4) कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से 1 वर्ष पश्चात् ही अंशों को बट्टे पर जारी किया जा सकता है ।
(5) बट्टे पर जारी किए जाने वाले अंश ऐसे अंश होंगे जो पूर्व में भी कंपनी द्वारा निर्गमित किए जा चुके हैं ।
(6) जब कोई कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर देती है तो उसे अपने प्रत्येक विवरण में इस बात का उल्लेख करना पड़ेगा । उसे प्रविवरण में यह भी दिखाना पड़ेगा कि बट्टे की कितनी राशि अपलिखित कर दी गई तथा कितनी राशि अपलिखित करनी शेष है ।
(7) *अंशों पर बट्टे की राशि का अपलेखन आने वाले वर्षों में करना पड़ेगा और जब तक यह अपलेखन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक इसे चिट्ठे में संपति पक्ष के अंतर्गत विविध व्यय शीर्षक में दिखाना पड़ेगा ।*

धारा–79A (Sec-79A) :–

कठोर/श्वेत/श्रम साध्य समता अंशों का निर्गमन (Issue of Sweat Equity Shares)

(1) कंपनी द्वारा कठोर समता अंशों का निर्गमन आम जनता को नहीं किया जाकर अपने कर्मचारियों या संचालकों को किया जाता है ।

Abhishek Sarda

(2) कठोर समता अंशों को कर्मचारियों या संचालकों को बट्टे पर या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु निम्न परिस्थितियों के संबंध में जारी किया जा सकता है :–

(a) कंपनी को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए

(b) कंपनी को किसी अन्य प्रकार से फायदा देने के लिए जिससे कंपनी के पास बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में संपति का निर्माण हुआ हो या किसी भी अन्य प्रकार से कंपनी को फायदा हुआ हो ।

(3) कठोर समता अंशों को निम्न प्रक्रिया के आधार जारी किया जा सकेगा :–

(a) ये अंश ऐसे श्रेणी के होंगे जो पूर्व में भी कंपनी द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

(b) कंपनी की *सामान्य सभा* में *विशेष प्रस्ताव* पारित करके स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

(c) कंपनी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए 1 वर्ष बीत चुका हो ।

(d) विशेष प्रस्ताव निम्न बातों का उल्लेख करेगा :–

- ✓ अंशों की संख्या
- ✓ चालू बाजार मूल्य
- ✓ प्रतिफल की राशि , यदि कोई हो
- ✓ ऐसे कर्मचारियों एवं संचालकों के नाम व प्रदान की सेवाओं का उल्लेख जिनको इस प्रकार के अंश जारी किए जाने हैं ।

(e) यदि कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है तो कंपनी द्वारा इस संबंध में SEBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना की जाएगी ।

धारा–77A (Sec-77A) :–

कंपनी द्वारा स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करना (Buy Back of Own Securities)

Abhishek Sarda

(1) कंपनी अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि स्वयं की प्रतिभूतियाँ क्रय कर सके क्योंकि कंपनी के चिट्ठे में दायित्वों के अंतर्गत कंपनी को अंश पूँजी दर्शानी होती है और अगर कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय कर लिया जाएगा तो उसे संपति के अंतर्गत निवेशों में दर्शाना होगा या अंश पूँजी में से घटाना होगा । यदि कंपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को संपतियों में निवेशों के अंतर्गत दर्शाती है तो यह कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के भाग I का उल्लंघन माना जाएगा और यदि कंपनी उस राशि को अंश पूँजी में से कम करती है तो उसे अंश पूँजी में से कमी करना अर्थात् धारा 100 को मानना होगा ।

(2) कंपनी द्वारा धारा 77A के अंतर्गत निम्न राशियों में से स्वयं की प्रतिभूतियों का क्रय किया जा सकता है :–

(i) स्वतंत्र या मुक्त संचयों में से

(ii) प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से

(iii) आम जनता को जारी किये गये अंशों की निर्गमन की राशि में से :– कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के पुनः क्रय हेतु जारी किये गये अंशों या अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि या किसी पूर्ववर्ती निर्गमनों से प्राप्त राशि का इस्तेमाल पुनः क्रय हेतु किया जा सकता है परंतु पुनः क्रय की जा रही प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि का इस्तेमाल उसी प्रकार की प्रतिभूति के पुनः क्रय हेतु नहीं किया जा सकता है ।

(3) पुनः क्रय के लिए निम्न शर्तों की पालना करनी होगी :–

(i) अंशों की पुनः खरीद अंतर्नियमों के अनुसार होनी चाहिए ।

(ii) ऐसी खरीद के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा ।

(iii) ऋण समता अनुपात पुनः खरीद के बाद 2:1 के बराबर या इससे कम होना चाहिए ।

(iv) उपरोक्त अनुपात में केंद्रीय सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है ।

(v) जिस भी प्रतिभूति की खरीद की जानी है वे पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए और कंपनी यदि सूचीबद्ध कंपनी है तो सेबी के मार्गदर्शन की पालना की जानी चाहिए ।

(vi) कम से कम दो पुनः खरीदों में 365 दिवसों का अंतर होना चाहिए ।

(vii) प्रत्येक प्रतिभूति की पुनः खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया 12 माह में पूर्ण कर ली जानी चाहिए । ये 12 माह विशेष प्रस्ताव की तिथि से गिने जाएंगे ।

(viii) कंपनी द्वारा अधिकतम पुनः खरीद कंपनी की कुल प्रदत अंश पूँजी (जिसमें समता व पूर्वाधिकार अंशों को शामिल किया जाएगा) तथा मुक्त संचयों के 25 प्रतिशत के बराबर या उससे कम हो सकती है ।

प्रतिभूतियों की पुनः खरीद निम्न प्रकार से की जाएगी :–

(a) खुले बाजार से

(b) विद्यमान प्रतिभूतिधारकों से अनुपातिक आधार पर ।

(c) Odd Lots से

(d) स्टॉक विकल्प (Stock Option) या कठोर समता अंशों की योजना के अनुरूप कंपनी के कर्मचारियों को जारी प्रतिभूतियों का क्रय करके।

(ix) कंपनी को पुनः खरीद से पूर्व कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में एक शोधन क्षमता प्रमाण पत्र पंजीकृत कराना होगा जिसके आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार यह निश्चित करेगा कि कंपनी को पुनः खरीद के उपरांत भी कार्यशील पूँजी की कमी नहीं पड़ेगी ।

(x) कंपनी द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों को भौतिक रूप से पुनः खरीद समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर नष्ट करना होगा ।

(xi) पुनः खरीद पूर्ण होने के 6 माह तक कंपनी निम्न के अलावा उसी प्रकार के अंशों से संबंधित क्रिया नहीं कर सकती है :–

(a) बोनस अंश जारी करना

(b) Stock विकल्प जारी करना

(c) कठोर समता अंश जारी करना

(d) अंश वारंट को अंश में परिवर्तित करना

(e) ऋणपत्रों को या पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करना ।

(xii) प्रतिभूतियों की पुनः खरीद के संबंध में कंपनी को एक रजिस्टर तैयार करना होगा ।

(xiii) कंपनी रजिस्ट्रार तथा सेबी को एक निर्धारित प्रारूप में पुनः खरीद से संबंधित विवरण 30 दिनों के भीतर पंजीकृत करना होगा ।

(xiv) यदि कंपनी द्वारा अंश पूँजी तथा मुक्त संचयों के 10 प्रतिशत अंशों की ही पुनः खरीद की जाती है तो यह निर्णय कंपनी द्वारा संचालक मंडल की सभा में ही ले लिया जायेगा अर्थात् इसके लिए साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव रखना आवश्यक नहीं होगा ।

धारा–92, 93 (Sec-92, 93) :–

अग्रिम रूप से चुकाई गई याचना राशि (Calls paid in Advance)

- कंपनी अधिनियम की धारा 92 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशधारियों से याचना की राशि अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकती है । इस अग्रिम रूप से प्राप्त की गई राशि पर कंपनी ब्याज का भुगतान करेगी न कि लाभांश का , यदि कंपनी के अंतर्नियम में प्रावधान हो ।

Abhishek Sarda

- कंपनी अधिनियम की धारा 93 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनी द्वारा अपने अंर्तनियमों में व्यवस्था करके कुछ अंशों पर लाभांश का भुगतान भी कर सकती है जिन अंशों के संबंध में ज्यादा राशि चुकाई गई है । अग्रिम रूप से प्राप्त याचना राशि को अंश पूंजी नहीं माना जाएगा जब तक उस याचना से संबंधित राशि संचालक मंडल द्वारा अंशधारियों से नहीं मांगी जायेगी ।
- अग्रिम रूप से प्राप्त याचना की राशि को एक पृथ्क खाते में रखा जाएगा यदि कंपनी का समापन हो जाता है तो उस स्थिति में अग्रिम रूप से प्राप्त याचना की राशि को भुगतान पूँजी के भुगतान से पहले किया जाएगा ।

बकाया याचनाएँ (Calls in Arrear)

- कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अंशों पर जो याचना राशि मंगाई जाती है जिसका सत्यापन अंकेक्षक द्वारा संचालक मंडल की सभाओं की सूचना के आधार पर किया जाता है ।
- अंशधारियों से प्राप्त याचना राशियों का सत्यापन अंश रजिस्टर से किया जायेगा । अंशधारियों से जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उसे बकाया याचना में शामिल किया जाएगा ।
- सामान्यतः कंपनी द्वारा बकाया याचना पर ब्याज लगाया जाता है । ऐसी दशा में ब्याज के समायोजन को सत्यापित किया जाना चाहिए ।
- यदि संचालकों से कोई याचना मिलनी बकाया है तो उनको चिट्ठे में पृथकतः दिखाया जाना चाहिए ।

अधिमान अंशों का निर्गमन एवं विमोचन (Issue and Redemption of Preference Shares)

Abhishek Sarda

(1) **निर्गमन :–** एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है जिनको निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पूर्व कंपनी की इच्छा पर शोधित किया जा सके, यदि कंपनी के अंतर्नियम इसके लिए अधिकृत करें । लेकिन कंपनी संशोधन अधिनियम 1996 के लागू होने के पश्चात् अंशों द्वारा सीमित कोई कंपनी ऐसे अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती जो अशोधनीय है अथवा अपने निर्गमन की तिथि से 20 वर्ष पश्चात् शोधनीय हो अर्थात् निर्गमन के पश्चात् अधिकतम 20 वर्षों तक अंशों का शोधन करना अनिवार्य है ।

(2) **शोधन :–**

- धारा 80 (शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन) :–
  - यह सुनिश्चित करें कि शोधित अंश पूर्ण प्रदत हैं
  - अंशो का शोधन ऐसे लाभों में से किया गया है जो लाभांश के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध थे अथवा शोधन हेतु नये निर्गमन से प्राप्त धनराशि से किया गया है
  - यदि अंशों के शोधन पर कोई प्रीमियम दिया गया है तो इसकी व्यवस्था प्रतिभूति प्रीमियम खाते (Securities Premium Account) से अथवा कंपनी के विभाज्य लाभों से की गई है
  - पूँजी शोधन संचय खाता :– *यदि अधिमान अंशों का शोधन नये निर्गमन से प्राप्तियों के अलावा किया जाए तो ऐसी शोधन की राशि के बराबर राशि लाभों में से अंतरित करके पूँजी शोधन संचय खाते (Capital Redemption Reserve Account) का निर्माण करना चाहिए ।*
    पूँजी शोधन संचय खाते का प्रयोग केवल पूर्णप्रदत बोनस अंश जारी करने के लिए किया जा सकता है ।

इसके अलावा जब कंपनी अपने समता अंशों का धारा 77A के अंतर्गत पुनः क्रय करती है और यदि ऐसा पुनः क्रय मुक्त संचयों (Free Reserves) में से किया जाता है तो भी ऐसी पुनः क्रय की राशि तक पूँजी शोधन खाता बनाना पड़ेगा ।

- धारा 80A (अशोधनीय अधिमान अंशों का शोधन) :–
  - कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा लागू धारा 80A के अनुसार इस धारा के लागू होने से पूर्व जारी प्रत्येक अशोधनीय अधिमान अंश का शोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर किया जाएगा या संशोधन के लागू होने से पूर्व तक निर्गमित ऐसे अशोधित अंश जो निर्गमन की शर्तों के अनुसार जारी करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि से पूर्व शोधनीय नहीं है तो कंपनी की निर्गमन शर्तों के अनुसार जिस तिथि को शोधनीय है अथवा इस संशोधन के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर दोनों में से जो भी तिथि पहले आए उस तिथि को शोधित करना पड़ेगा ।

    परंतु यदि कोई कंपनी उपरोक्त अवधि में ऐसे अंशों का शोधन करने में या उन पर देय लाभांश चुकाने में समर्थ नहीं है तो कंपनी NCLT को आवेदन कर ट्रिब्यूनल की अनुमति से देय राशि (लाभांश सहित) के लिए नए शोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है । इस प्रकार शोध्य अधिमान अंशों के निर्गमन द्वारा अशोध्य अंशों का शोधन हुआ मान लिया जाएगा ।

धारा–94 (Sec-94) :–

अंश पूँजी में परिवर्तन (Alteration of Share Capital)

Abhishek Sarda

अंश पूँजी में परिवर्तन से तात्पर्य है कि अंश पूँजी में धारा 94 के अनुसार किसी भी तरीके से अंश पूँजी में परिवर्तन । एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी अपनी अंश पूँजी में परिवर्तन कर सकती है जिसके लिए निम्न शर्तें पूरी होना आवश्यक है :–

(1) कंपनी के अंर्तनियमों द्वारा अधिकृत हो

(2) कंपनी की *साधारण सभा* में *साधारण प्रस्ताव* पारित किया जाना चाहिए

(3) किसी भी न्यायालय से अंशों के परिवर्तन के मामले में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है

(4) अंश पूँजी में परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को आवश्यक सूचनाएँ धारा 95 के अनुसार भेजना

(5) अंकेक्षक द्वारा साधारण सभा के सूक्ष्मों की जाँच की जाएगी और उसके उपरांत संचालक मंडल की सभा में अंशपूँजी में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव की जाँच की जाएगी

(6) अंकेक्षक द्वारा यह भी जाँचा जाएगा कि कंपनी के अंशधारियों में यदि वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के संबंध में जो अंश प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और जो पुराने अंश प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं उनकी भी जाँच की जाएगी ।

(7) अंत में अंकेक्षक द्वारा यह जाँचा जाएगा कि कंपनी के चिट्ठे में अंश पूँजी को परिवर्तन के आधार पर उल्लेखित किया गया है ।

धारा–100 (Sec-100) :–

अंश पूँजी को कम करना (Reduction of Share Capital)

किसी भी कंपनी द्वारा अपनी अंश पूँजी में की जा सकती है यदि वह कंपनी अंशों द्वारा सीमित कंपनी हो या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी हो परंतु अंश पूँजी भी हो । अंश पूँजी में कमी की जाँच अंकेक्षक द्वारा निम्न प्रकार से की जाएगी :–

(1) अंश पूँजी की कमी के संबंध में कंपनी द्वारा साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया हो ।
(2) पुष्टि करना कि कंपनी के अंतर्नियम पूँजी की कमी को अधिकृत करते हैं ।
(3) कंपनी द्वारा अधिकृत न्यायालय से इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।
(4) कंपनी के अंर्तनियमों में अंश पूँजी को कमी करने से संबंधित प्रावधान हो ।
(5) न्यायालय की स्वीकृति व विशेष प्रस्ताव की प्रति कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करानी आवश्यक है ।
(6) अंकेक्षक द्वारा यह जाँचा जाएगा कि लेखा पुस्तकों में इस संबंध में सही प्रकार से प्रविष्टियाँ कर ली गई है ।
(7) अंकेक्षक द्वारा यह भी जाँचा जाएगा कि कंपनी की संपतियों का मूल्यांकन सही है और उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित मूल्य पर दर्शाया गया है ।
(8) यदि कंपनी द्वारा अंशों के सममूल्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया था और उसके उपरांत अंश पूँजी में कमी का निर्णय लिया जाता है तो उस स्थिति में कंपनी के अंशधारियों को उतनी राशि का भुगतान किया जाएगा जितनी राशि से अंशों में कमी की गई है । अतः अंशधारियों को भुगतान के संबंध में भी जाँच करनी होगी ।
(9) यदि न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि कंपनी द्वारा अपने नाम के अंत में "and Reduced" शब्द लगाना आवश्यक है तो कंपनी द्वारा उन शब्दों को अपने चिट्ठे, सीमानियम, अंतर्नियम एवं अन्य दस्तावेजों में उतने वर्षों के लिए जोड़ना होगा जितने वर्ष के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा ।
(10) सत्यापन करना सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के खातों में आवश्यक समायोजन कर दिए गए हैं तथा पुष्टि करना कि या तो पुराने अंश प्रमाण पत्रों में दिखाई गई प्रदत राशि को परिवर्तित किया जा चुका है या पुरानों के स्थान पर नये प्रमाणपत्र जारी कर पुरानों को रद्द कर दिया गया है ।

Abhishek Sarda

अंशों के हरण का सत्यापन (Verification of Forfeiture of Shares)

यदि किसी अंशधारी द्वारा याचना राशियों का भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया से उनके अंशों को जब्त किया जा सकता है । इसके संबंध में कंपनी द्वारा निम्न प्रक्रिया को अपनाना होगा :–

(1) चूंकि कंपनी संचालक अशों के संबंध में संपूर्ण अधिकार रखते हैं तो उनके द्वारा ही अंशधारियों से याचना राशि की मांग की जाएगी और यदि अंशधारी याचना राशि का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो कंपनी के संचालक मंडल द्वारा ऐसे अंशधारियों को एक सूचना भेजी जाएगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि वे एक निश्चित तिथि तक याचना राशि का भुगतान ब्याज सहित करें ।
(2) यदि उस निश्चित तिथि तक भी अंशधारी द्वारा याचना राशि का ब्याज सहित भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी संचालक मंडल द्वारा ऐसे अंशधारियों के अंशों को जब्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है ।
(3) यदि कंपनी के अंतर्नियमों में इन प्रावधानों के अलावा कोई अन्य प्रावधान भी है तो उनकी भी पालना संचालक मंडल द्वारा की जाएगी ।
(4) अंकेक्षक को संचालक मंडल की सभा के सूक्ष्मों की जाँच करनी होगी कि उनकी तरफ से ऐसे अंशधारियों को उचित प्रकार से सूचना जारी की गई थी ।
(5) अंकेक्षक अंशों को जब्त करने के संबंध की गई प्रविष्टियों तथा साथ ही सदस्यों के रजिस्टर की भी जाँच करेगा ।

जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन :–

कंपनी द्वारा यदि अंशों को जब्त किया गया था तो कंपनी का संचालक मंडल उन जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन भी कर सकता है । यदि इन जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि कंपनी द्वारा अपने अंशों में कमी की गई है । अंकेक्षक द्वारा जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के संबंध में निम्न जाँच की जाएगी :–

(1) संचालक मंडल की सभा के सूक्ष्म
(2) कंपनी की रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियाँ
(3) अंकेक्षक द्वारा यह जाँचा जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में कंपनी द्वारा जब्त की गई राशि को मिलाकर अंशों के अंकित मूल्य से कम राशि प्राप्त नहीं की गई हो किंतु यदि कोई प्रीमियम की राशि प्राप्त की गई है तो उसे ऐसी राशि में शामिल नहीं करेंगे ।
(4) जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन द्वारा यदि कंपनी को सममूल्य से अधिक की राशि प्राप्त होती है तो ऐसी आधिक्य राशि को पूँजी संचय खाते (Capital Reserve Account) में दर्शाया जाएगा ।
(5) अंकेक्षक द्वारा सदस्यों का रजिस्टर भी जाँचा जाएगा जिसके अंतर्गत विशेष तौर पर यह जाँचा जाएगा कि पुनः निर्गमन से जो नये अंशधारी कंपनी में बने हैं उनका उल्लेख उन सदस्यों के रजिस्टर में शामिल किया गया है कि नहीं ।

अंश पूँजी का विकल्प (Option on Share Capital)

अर्थ :– अंश पूँजी पर विकल्प तब उत्पन्न होता है जब किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार आ जाए कि वह अपनी इच्छा पर कंपनी के अंशों को ले सकें ।यह विकल्प केवल अनिर्गमित पूँजी के संबंध में ही जारी किया जाएगा ।

Abhishek Sarda

परिस्थितियाँ :– यह विकल्प सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में प्राप्त होता है :–
(a) प्रर्वतकों के प्रारंभिक व्ययों के संबंध में जिनकी संपुष्टि बाद में कंपनी द्वारा कर दी गई
(b) सहयोगी संलेख के संबंध में
(c) ऋण अनुबंध या ऋण पत्र संलेख के संबंध में
(d) पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करने के संबंध में
(e) किसी अन्य पूँजीगत संपति या अन्य व्यापारिक सामान के क्रय अनुबंध के संबंध में

अनुमति :– जब एक कंपनी ऋण या ऋणपत्रों के संबंध में विकल्प के अधिकार को स्वीकार करती है तो इसे (1) केंद्रीय सरकार की अनुमति तथा (2) सामान्य सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, यदि ऋण या ऋण पत्र गैर सरकारी पक्षों से संबंधित हैं ।

प्रकटीकरण :– अधिनियम की अनुसूची IV के भाग I के अनुसार इस प्रकार के विकल्प का उचित स्थान पर "अंश पूँजी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यक है ।

अंशों के हस्तांतरण का अंकेक्षण (Shares Transfer Audit)

जो कंपनियाँ सूचीबद्ध होती हैं उनके अंशों का हस्तांतरण कंपनी अधिनियम में प्रस्तावित प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है । कई बड़ी कंपनियों में जहाँ अंशों का क्रय विक्रय बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है , SEBI द्वारा अंशों के हस्तांतरण के अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकें यदि उस अंशधारी को किसी प्रकार की क्षति हुई है । यह क्षति उसके गलत नाम अंकित करने से संबंधित हो सकती है या गलत तरीके से हस्तांतरण के

सबंध में भी हो सकती है । इसके संबंध में कंपनी अधिनियम में निम्न प्रावधान उल्लेखित हैं जिनकी पालना करना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य है ।

(1) यदि कंपनी के अंतर्नियमों में अंशों के हस्तांतरण से संबंधित कोई प्रावधान है तो कंपनी द्वारा उन प्रावधानों की पालना की जाएगी ।

(2) किसी भी अंशधारी से अंशों के हस्तांतरण से संबंध में कंपनी को यदि आवेदन प्राप्त होता है तो कंपनी द्वारा हस्तांतरक व हस्तांतरिती दोनों को ही हस्तांतरण के संबंध में सूचना भेजी जाएगी और हस्तांतरक द्वारा जब कंपनी में अनापति प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा उसके उपरांत ही हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।

(3) यदि अंश पूर्ण प्रदत नहीं है तो कंपनी द्वारा एक सूचना हस्तांतरिती को भी भेजी जाएगी कि क्या हस्तांतरिती अंशतः प्रदत अंशों को क्रय करना चाहता है । यदि इस संबंध में हस्तांतरिती द्वारा अपना अनापति प्रमाण पत्र कंपनी को भेज दिया जाएगा तो उसके पश्चात् हस्तांतरण के संबंध में आगे कार्यवाही की जाएगी ।

(4) अंशों का हस्तांतरण एक निश्चित प्रारूप (Form No. 7B) के अनुसार ही की जाती है । इस फार्म को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अपनी मोहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा । इस मोहर में कंपनी रजिस्ट्रार का नाम, राज्य का ना व प्रमाणन की तिथि अंकित होगी । इस तिथी के अनुसार ही फार्म संख्या 7 की वैधता निर्धारित की जाती है ।

वैधता :–

- *यदि कंपनी के अंश सूचीबद्ध हैं तो इस प्रमाणन की तिथि से 12 माह या रिकॉर्ड तिथि जो भी बाद में आएगी ।*
- *अन्य परिस्थिति में वैधता प्रमाणन की तिथि से 2 माह तक*

(5) कंपनी द्वारा अंशों के हस्तांतरण के संबंध में प्राप्त आवेदन को निम्न प्रकार से जाँचा जाएगा :–

- हस्तांतरक का नाम, पता व हस्ताक्षर
- हस्तांतरिती का नाम, पता व हस्ताक्षर
- हस्तांतरित अंशों की संख्या व वर्ग/श्रेणी
- अंश प्रमाण पत्र की पृथक संख्या (Unique Number)
- कंपनी द्वारा यह भी जाँचा जाएगा कि हस्तांतरिती अंशों के हस्तांतरण के संबंध में अयोग्य तो नहीं है जैसे – दिवालिया, अवयस्क, साझेदारी फर्म इत्यादि

Abhishek Sarda

(6) अंकेक्षक द्वारा हस्तांतरण रजिस्टर में पृथक रूप से की गई प्रविष्टियों की भी जाँच की जाएगी।

(7) यह भी जाँचा जाएगा कि हस्तांतरिती द्वारा पर्याप्त राशि के मुद्रांक शुल्क लगाए गए हैं या नहीं।

(8) यदि हस्तांतरक द्वारा अपने कुल अंशों में से कुछ अंश ही विक्रय किए गए हैं तो अंकेक्षक को यह जाँचना होगा कि कंपनी द्वारा सही प्रकार से अंश प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं अर्थात् हस्तांतरक को पुराने अंश प्रमाण पत्र में ही नये अंशों की संख्या लिखकर प्रमाणित किया गया है और हस्तांतरिती को नया अंश प्रमाण पत्र क्रय किए गए अंशों के आधार पर जारी किया गया है ।

(9) अंकेंक्षक को संचालक मंडल की सभाओं के सूक्ष्म भी जाँचने होंगे क्योंकि अंशों के संबंध में संपूर्ण अधिकार संचालक मंडल को प्राप्त रहते हैं ।

(10) यदि हस्तांतरक के अंश खो गये हैं या नष्ट हो गये हैं या फट गये हैं और वह अपने अंशों का विक्रय करना चाहता है तो हस्तांतरक को फार्म संख्या 7B के साथ एक निर्धारित प्रारूप में क्षतिपूर्ति बाण्ड हस्ताक्षरित करके संलग्न करना होगा जिसके आधार पर कंपनी द्वारा अंशों का हस्तांतरण हस्तांतरिती को किया जाएगा ।

(11) यदि किन्हीं भी कारणों से कंपनी द्वारा अंशों का हस्तांतरण निरस्त कर दिया जाता है तो कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह हस्तांतरक व हस्तांतरिती को फार्म व अंश प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दो माह के भीतर सुचित करें और यदि कंपनी द्वारा अंशों का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो हस्तांतरिती को 3 माह के भीतर अंश प्रमाण पत्र भेजें ।

(12) यदि अंशों का हस्तांतरण संचालकों से संबंधित है तो अंकेक्षक को यह भी जाँचना होगा कि संचालकों के रजिस्टर में इन अंशों का उल्लेख कर दिया गया है ।

अंशों का पारेषण (Transmission of Shares)

यह अंशधारी की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है । इस संबंध में अंकेक्षक को निम्न प्रावधानों की जाँच करना आवश्यक है :–

(1) अंर्तनियमों में यदि इस संबंध में कोई प्रावधान है तो उन प्रावधानों की पालना की जाँच करना।
(2) यदि अंशों का पारेषण अंशधारी की मृत्यु के कारण किया जा रहा है तो कंपनी को अंशधारी की मृत्यु का प्रमाणपत्र व जो व्यक्ति योग्य है तथा जो व्यक्ति अंशों को धारण करने की योग्यता रखता है उसके संबंध में दस्तावेज की प्रति उदाहरण के तौर पर अंशधारी की वसीयत ।
(3) यदि अंशों का पारेषण अंशधारी के दिवालियापन के कारण हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय के आदेश को कंपनी के पास पंजीकृत कराना होगा और उसकी जाँच अंकेक्षक द्वारा की जाएगी ।
(4) संचालक मंडल की सभाओं के सूक्ष्मों की जाँच
(5) अंश हस्तांतरण रजिस्टर की जाँच
(6) कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराई गई वार्षिक विवरणी की जाँच

बोनस अंशों के निर्गमन का सत्यापन (Verification of Issue of Bonus Shares)

(1) बोनस अंश संचालक मंडल की सभा में प्रस्तावित किए जाते हैं जिनका अनुमोदन अंशधारियों की साधारण सभा में किया जाता है । अतः इसके सत्यापन के लिए अंशधारकों की सूक्ष्म पुस्तिका व संचालकों के सूक्ष्म का निरीक्षण करना ।
(2) कंपनी द्वारा बोनस अंश तभी जारी किए जा सकेंगे जब कंपनी के अंतर्नियमों में इससे संबंधित प्रावधान होंगे ।
(3) बोनस अंश मुक्त संचयों में से जारी किए जाएंगे ।
(4) अंकेक्षक द्वारा यह जाँचा जाएगा कि बोनस अंश जारी करने के उपरांत कंपनी की कुल पूर्ण प्रदत अंश पूँजी अधिकृत पूँजी से अधिक नहीं हुई है ।
(5) यदि कंपनी के अंश सूचीबद्ध हैं तो अंकेक्षक को यह भी जाँचना होगा कि कंपनी द्वारा ैम्ब् सेबी के दिशा निर्देशों की पालना भी सही प्रकार से की गई है ।
(6) अंकेक्षक द्वारा लेखा प्रविष्टियों की जाँच की जाएगी विशेष तौर पर संचयों के पूँजीकरण से संबंधित ।
(7) अंकेक्षक द्वारा सदस्यों के रजिस्टर को भी जाँचा जाएगा । इसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि अंशधारियों के विधमान अंशों के अनुपात में बोनस अंश उनके खातों में जमा किए गए हैं ।
(8) कंपनी द्वारा जिस वर्ष बोनस अंश जारी किए जाएंगे उन्हें चिट्ठे में पृथक रूप से दर्शाना होगा।
(9) साथ ही यह भी उल्लेखित करना होगा कि बोनस अंश जारी करने का स्रोत क्या था ?

Abhishek Sarda

ऋणपत्रों का अंकेक्षण (Audit of Debentures)

अंकेक्षक को यह सत्यापित करना होता है कि क्या ऋणपत्रों का आबंटन प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण की शर्तों के अनुसार किया गया है ? कंपनी संशोधन अधिनियम, 1988 ने प्रविवरण जारी करके जनता से याचना आमंत्रित करने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि ऐसे निर्गमन से पूर्व किसी एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तावित ऋणपत्रों के लिए आज्ञा हेतु आवेदन करें ।
अंकेक्षक को यह भी देखना होगा कि संचालकों ने ऋणपत्रों के निर्गमन में धारा 293 के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों के अंतर्गत कार्य किया है तथा अंतर्नियमों के प्रावधानों का भी ध्यान रखा है ।

धारा 117A के अनुसार ऋणपत्र प्रन्यास संविदा (Debenture Trust Deed) बनाना एवं उसकी फाईलिंग अनिवार्य है ।
धारा 117B के अंतर्गत ऋणपत्र प्रन्यासियों (Debenture Trustees) की नियुक्ति अनिवार्य है तथा ये प्रन्यासी अंशधारियों के हितों का ध्यान रखेंगे । इस धारा के अंतर्गत ऋणपत्र शोधन संचय (Debenture Redemption Reserve)का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है और ऐसी राशि का प्रयोग केवल ऋणपत्रों के शोधन हेतु ही किया जा सकता है ।

ऋणपत्रों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक को निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए :–
(1) सत्यापित करना कि प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण आवंटन की प्रक्रिया से पूर्व रजिस्ट्रार के पास विधिवत फाईल कर दिया गया है ।
(2) ऋणपत्रों हेतु आवेदनों को आवेदन तथा आवंटन पुस्तिका से चैक करके सत्यापित करना कि आवेदकों के नाम तथा पते एवं आवेदित ऋणपत्रों की संख्या सही तौर पर रिकॉर्ड की गई है ।
(3) सत्यापित करना कि ऋणपत्रों का आवंटन संचालकों की सूक्ष्मों के संदर्भ में सही है ।
(4) रोकड़ बही के अनुसार वसूल की गई राशियों का आवेदकों को जारी की गई रसीदों के प्रतिपर्णों से मिलान करना ।
(5) ऋणपत्रों के आवंटनों की खतौनी चैक करना तथा ऋणपत्र रजिस्टर में आवेदन तथा आवंटन पुस्तक से उनके संबंध में प्राप्त राशियों को जाँचना ।
(6) ऋणपत्र रजिस्टर से निर्गमित ऋणपत्रों के प्रतिपर्णों के आधार पर प्रविष्टियों को सत्यापित करना ।
(7) ऋणपत्र धारकों द्वारा चुकाई गई राशियों के संबंध में ऋणपत्र रजिस्टर में शेषों को निकालकर देखना तथा सामान्य खाताबही के ऋणपत्र खाते में शेष को उनके योगों के साथ मिलाना ।
(8) ऋणपत्र प्रन्यास संविदे की प्रति का परीक्षण करना तथा निर्गमन एवं प्रति भुगतान के बारे में उसकी शर्तों का उल्लेख करना ।
(9) यदि ऋणपत्र किसी प्रभार (Charge) या बंधक के अंतर्गत हैं तो सत्यापित किया जाये कि प्रभार "बंधक तथा प्रभारों के रजिस्टर" में ठीक तरह से रिकॉर्ड किया गया है तथा उसको कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर भी कराया गया है । इसके अतिरिक्त प्रभार को चिट्ठे में स्पष्ट तौर से दिखाया गया है ।
(10) सेबी (SEBI) के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है यह भी देखा जाना चाहिए ।
(11) यदि ऋणपत्रों को क्रय प्रतिफल के एक भाग के रूप में विक्रेताओं को पूर्णप्रदत जारी किया गया हो , वहां इस संबंध में अनुबंध का हवाला (Reference) दिया जाना आवश्यक है ।

Abhishek Sarda

<u>ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन (Issue of Debentures at a Discount)</u> :–

यदि ऋणपत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो बट्टे की रकम को ऋणपत्रों पर बट्टे खाते (Discount on Debentures A/c) में डेबिट किया जाना चाहिए जिससे ऋणपत्र खाता ऋणपत्रों के संपूर्ण मूल्य सामान्य मूल्य से क्रेडिट किया जा सके । इस खाते का शेष तब तक चिट्ठे में दिखाया जाएगा जब तक इसे अपलिखित न कर दिया जाये । यदि ऋणपत्र अशोधनीय हैं तो बट्टे की रकम को किसी उचित समयावधि में अपलिखित कर दिया जाना चाहिए।

<u>ऋणपत्रों का अधिमूल्य/प्रीमियम पर निर्गमन (Issue of Debentures at a Premium)</u> :–

यदि ऋणपत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है तो एकत्र प्रीमियम को ऋणपत्रों पर प्रीमियम खाते (Premium on Debentures A/c) में क्रेडिट किया जाना चाहिए । चूँकि यह पूँजीगत लाभ है अतः इस खाते के क्रेडिट शेष को पूँजी संचय खाते (Capital Reserve A/c) में हस्तांतरित किया जाना चाहिए ।

ऋणपत्रों का शोधन (Redemption of Debentures) :–

(1) सुनिश्चित करें कि ऋणपत्रों का शोधन संचालक मंडल की शक्तियों के अंतर्गत किया गया है । देखें कि क्या कंपनी ने ऋणपत्र धारकों को अपनी शोधन की मंशा का देय नोटिस दिया था ।
(2) शोधन की विधियाँ :–

(i) खुले बाजार में क्रय :–

- जब खुले बाजार में क्रय किया जाय तो देखें कि खरीद को चिट्ठे में Investment of Sinking Fund के रूप में दिखाया गया है ।
- खुले बाजार में क्रय के पश्चात् जब अपने ऋणपत्रों (Own Debentures) को रद्द (Cancel) किया जाता है तो यह सुनिश्चित करें कि लाभ हानि के निर्धारण के लिए उचित लेखांकन प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं ।
- देखें कि आधिक्य (Surplus) को सीधे पूँजी संचय (Capital Reserve) खाते में अंतरित कर दिया गया है ।
- यदि Sinking Fund एक बीमा पॉलिसी के माध्यम से संचालित है तो सत्यापित करें कि पॉलिसी ऋणपत्र धारकों के प्रन्यासियों के पक्ष में निर्दिष्ट है ।

(ii) निर्धाति तिथि को शोधन :–

- सत्यापन करें कि शोधन निर्गमन के नियम एवं शर्तों के अनुरूप है ।

ऋणपत्रों का प्रीमियम पर शोधन (Redemption of Debentures at a Premium) :–

Abhishek Sarda

ऋणपत्रों का शोधन अधिमूल्य/प्रीमियम पर निम्न दो तरीकों से किया जा सकता है :–
(1) कुल देय अधिमूल्य की राशि को एक विशिष्ट खाते 'ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि खाता' (Loss on Issue of Debentures A/c) में डेबिट कर दिया जाए तथा 'ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम खाता' (Premium on Redemption of Debentures A/c) में डेबिट कर दिया जाए तत्पश्चात् प्रथम खाते को तब तक आगे ले जाया जाएगा जब तक इसका अपलेखन न हो जाय तथा दूसरा खाता प्रीमियम के भुगतान पर ऋणपत्रों के शोधन के समय में बंद कर दिया जाएगा ।
(2) ऋणपत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा यह तथ्य चिट्ठे में शोधन की तिथि तथा प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली धनराशि के साथ नोट के रूप में दिखायी जाएगी । प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली राशि ऋणपत्र के शोधन पर देय अधिमूल्य खाते में (Premium on Redemption of Debentures A/c) डेबिट की जाएगी ।

ऋणपत्रों पर ब्याज (Interest on Debentures) :–

(1) ऋणपत्रों पर ब्याज देय होगा चाहे लाभ हो या ना हो । सत्यापन करें कि ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान बनाया गया है जब तक कि विशेष रूप से अपर्याप्त लाभों के दौरान ब्याज को माफ न कर दिया गया हो ।
(2) ऋणपत्र धारकों की स्वीकृतियों (Acknowledgement), बेचानित वारंटों तथा वाहक ऋणपत्रों की दशा में समर्पण किये गये कूपनों के साथ ब्याज के भुगतान का प्रमाणन किया जाना चाहिए ।
(3) कुल भुगतान की गई राशि का मिलान भुगतान के लिए कुल देय राशि तथा ब्याज के साथ देय अदत राशि के साथ किया जाना चाहिए ।

(4) ऋणपत्रों पर चुकाया गया ब्याज अन्य स्थायी ऋणों की तरह लाभ हानि खाते में पृथक मद के रूप में दर्शाया जाएगा ।

शोधित ऋणपत्रों का पुनः निर्गमन (Re-Issue of Redeemed Debentures) :–

- एक कंपनी पूर्णतः शोधित ऋणपत्रों को पुनः निर्गमित कर सकती है या उनके स्थान पर दूसरे ऋणपत्र जारी कर सकती है यदि सामान्य सभा में प्रस्ताव या अनुबंध या अंतर्नियम या कंपनी की अन्य गतिविधी स्पष्टतः या गर्भित तौर पर यह अभिव्यक्त न करें कि शोधित ऋणपत्रों को रद्द कर दिया जाएगा ।
- अंकेक्षक यह जाँचे कि ऋणपत्रों के पुनः निर्गमन पर खर्चों के संबंध में खातों में उचित ढंग से दर्शाया गया है।
- सत्यापन करें यदि पुनः निर्गमित ऋणपत्रों के संबंध में ऋणपत्र धारकों के अधिकारों व विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन किया गया है ।
- देखें कि क्या शोधित ऋणपत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लेनदारों, बैंकरों या अन्य ऋणदाताओं को पुनः निर्गमन किया गया है ।
- ऐसी स्थिति में सामान्यतः ऋण की राशि से 10 या 20 प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य के ऋणपत्र निर्गमित किए जाते हैं परंतु कंपनी की देनदारी वास्तविक ऋण की राशि तक सीमित रहती है न कि ऋणपत्रों के अंकित मूल्य तक ।
- यह सुनिश्चित करें कि ऐसे ऋणपत्रों (समपार्श्विक प्रतिभूति) की राशि चिट्ठे के आंतरिक कॉलम में संबंधित दायित्व के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाई गई है ।
- जब ऋणपत्रों का पुनः भुगतान कर दिया जाता है तो देखें कि प्रभारों का शोधन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेज दिया गया है ।

Abhishek Sarda

अंतरिम लाभांश एवं अंतिम लाभांश में अंतर (Distinguish between Interim and Final Dividend) :–

(1) अर्थ :– अंतरिम लाभांश एक ऐसा लाभांश है जो दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच किसी भी समय संचालक मंडल द्वारा दिया जाता है जबकि अंतिम लाभांश किसी वितीय अवधि के लिए वार्षिक साधारण सभा में घोषित किया जाता है ।

(2) सता (Authority) :– यह संचालकों द्वारा घोषित किया जाता है तथा बाद में वार्षिक साधारण सभा में विनियमित किया जाता है जबकि अंतिम लाभांश संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और यह अंशधारियों द्वारा साधारण सभा में अनुमोदित किया जाता है ।

(3) अधिकार (Right) :– संचालकों का अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु मात्र एक संकल्प कंपनी के विरूद्ध एक प्रवर्तनीय ऋण का निर्माण नहीं करता जबकि अंतिम लाभांश एक बार कंपनी की साधारण सभा में घोषित किये जाने के पश्चात् एक ऋण है और एक प्रवर्तनीय दायित्व उत्पन्न करता है।

लाभांशों का अंकेक्षण (Audit of Dividends) :–

(1) कंपनी के अंतर्नियम और सीमानियम का परीक्षण करें तथा लाभांशों के भुगतान एवं घोषणा के संबंध में यदि कोई विशेष प्रावधान है तो उसे नोट करें ।

(2) संचालक मंडल की सूक्ष्म पुस्तिका की जाँच कर निम्न का सत्यापन करें :–

- लाभांश की दर के संबंध में संकल्प उचित रूप से दर्ज है
- कंपनी (संचयों में लाभों का अंतरण) नियम, 1975 के प्रावधानों का पालन किया गया है । केंद्रीय सरकार द्वारा इस संदर्भ में धारा 205 के अधीन नियम बनाए गए हैं । धारा

205(2A) के अंतर्गत लाभांश की दर के आधार पर लाभों का एक निश्चित भाग मुक्त संचयों में हस्तांतरित किया जाएगा :–

	लाभांश की दर (% में)	मुक्त संचयों में हस्तांतरण
(i)	10 % तक	शून्य
(ii)	10 % से अधिक व 12.5 % तक	लाभों का 2.5 %
(iii)	12.5 % से अधिक व 15 % तक	लाभों का 5 %
(iv)	15 % से अधिक व 20 % तक	लाभों का 7.5 %
(v)	20 % से अधिक	लाभों का 10 %

(3) वार्षिक साधारण सभा कार्यवृत (मिनट) पुस्तिका की जाँच कर यह सत्याापन करें कि लाभांश के संबंध में सभा में उचित रूप से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है ।

(4) अंशधारकों के रजिस्टर का सत्याापन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी अंशधारियों के नाम शामिल कर लिए गए हैं जो लाभांश के अधिकारी हैं ।

(5) अदत (Unpaid) लाभांश सहित लाभांशों के भुगतान के लिए कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का परीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि इनका भुगतान प्राप्तकर्ता की पहचान, प्राप्तकर्ता के दावे की जाँच आदि समुचित सुरक्षा कदम उठाते हुए कर दिया गया है ।

(6) समर्पण किए गए लाभांश अधिपत्रों के साथ चुकाए गए लाभांश की राशि को चैक करें । देखें कि लाभांशों के भुगतान के संबंध में सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं । अदत लाभांश की राशि का मिलान लाभांश बैंक खाते की शेष राशि के साथ करें ।

(7) विगत वर्षों के संदर्भ में लाभांश अधिपत्रों का परीक्षण करें जो भुगतान के लिए वर्ष के दौरान पेश किए गए हैं तथा सत्यापित करें कि उनके भुगतान से अंतर्नियमों में सन्निहित किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

Abhishek Sarda

(8) धारा 205A के अनुसार एक कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि लाभांश की जो राशि लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के बीत जाने पर भी अयाचित या अदत रहें तो ऐसी राशि को एक विशेष खाते "Unpaid Dividend Account of …. company Ltd./Company (Pvt.) Ltd." में 30 दिन बीतने की तिथि से 7 दिन के भीतर अंतरित किया जाना चाहिए ।

(9) यदि ऐसी अयाचित राशि अंतरण के बाद 7 सालों की अवधि के लिए अदत या अयाचित रहें तो उसको अधिनियम की धारा 205C के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष" (Investor Education and Protection Fund) में अंतरित कर दी जाएगी ।

अंतरिम लाभांशों का अंकेक्षण (Audit of Interim Dividends) :–

(1) सत्यापित करें कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार संचालक अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए अधिकृत हैं ।

(2) सत्यापन करें कि अंतरिम खाते पूरे साल के लिए ह्रास, डूबत ऋण आदि के लिए प्रावधान बनाने के पश्चात् तैयार किए गए हैं ।

(3) यह सुनिश्चित करें कि धारा 205 (2A) के प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक राशि संचयों में अंतरित कर दी गई हैं ।

(4) सकल राशि P&L Appropiation Account और चिट्ठे में चालू दायित्वों के अंतर्गत दिखाई जाएगी, जब तक कि यह चुकाई जाती है ।

(5) जहां खातों में अंतरिम लाभांश भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया जाता है, एक उचित टिप्पणी खातों में डाला जाना चाहिए और अंतरिम अवधि के लिए अंकेक्षक की रिपोर्ट उचित तौर पर मर्यादित की जानी चाहिए ।